

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

ओजस्व बनाम च. लाला लाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 34/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/02/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रातेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>ओजस्व</u></p> <p>पिता श्री <u>दिलीप कुमार ना. का. सरसक माता संगीता श. लाला लाल (6)</u></p> <p>निवासी- <u>खोखुडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>खाघला (प.ह. देवरी)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>205 रकबा 0.1600, 35 रकबा 2.0000</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>2.1600</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>खाघला (प.ह. देवरी) तह. चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>205, 35</u> <u>0.1600, 2.0000</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>2.1600</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500.00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पचास (1500)</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(नीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>